

# Office-Principal

# Govt. Jagannath Munnalal Choudhary Mahila Mahavidyalaya, Mandla, Madhya Pradesh



**Phone/Fax:** 07642-252536

Website: <a href="http://www.gjmcgirlscollegemandla.in">http://www.gjmcgirlscollegemandla.in</a>

AISHE Code: C-33429

Email: hegjcgcman@mp.gov.in

College Code: 3502

# **Reservation Policy in Admission**

Madhya Pradesh Government Higher Education Department Vallabh Bhawan – Bhopal

Ref. Order No.: 327/46/CC/2023/38, Bhopal Dt. 17/05/2023

The government hereby issues the reservation policy to be adopted by the government colleges for UG and PG admissions as stated below:

- 1. The seats for the applicants from scheduled caste and schedule tribe will be reserved 16% and 20% simultaneously and it will be inter changed.
- 2. For OBC (other than creamy layer) for OBC applicants 14% will be reserved.
- 3. Off springs of freedom fighters and martyrs will get reservation of 5%.
- 4. Especially abled applicants will get 5% reservation.
- 5. 30% of seats will be reserved for girls.
- 6. Off springs of Higher Education Department will get 5% reservation.
- 7. 10% of seats will be reserved for the applicants from the economically weaker section.

Govt. Japan Mahavidyalaya, Mandla (M.P.)
Govt. J.M.C. Mahila

Mahavidyalaya, Mandla, M.P.

## मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग वल्लभ भवन,मंत्रालय—462004

#### ः आदेश ः

भोपाल, दिनांक 17/05/2023

क्रमांक 327/ 46 /सीसी/2023/अडतीस ः राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र 2023-24 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत, अकादिमक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय—सारणी जारी किये जाते हैं।

संलग्न- प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत ।

(वीरन सिंह भलावी) अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ0 कमांकः 328/ 46 /सीसी/2023/अड़तीस, भोपाल, दिनांक /7/05/2023 प्रतिलिपि :

- प्रमुख राचिव,माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय,मध्यप्रदेश भोपाल, म.प्र. ।
- निज सहायक, माननीय गंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
- स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय ।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा गवन, भोपाल ।
- अध्यम, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र. ।
- कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/ रीवा/ उज्जैन/छतरपुर एवं छिन्दवाडा, मध्यप्रदेश।
- कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र.।
- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
- सी.इं.ओ., एम.पी. ऑनलाइन, द्वितीय तल, डी.बी. मॉल, एम.पी. नगर, भोपाल म. प्र. की ओर कार्यवाही हेतु ।
- 10. प्राचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
- प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, म. प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलीड करने हेतु।

..... की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विमाग

- 26.4 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्त्तव्य के दौरान वीरगित को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के किंग्यों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे सम्बद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा।भारतीय सशस्त्र सेना के किर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा
  - युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
  - युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यस्त सैनिकों एवं उनके आश्रित।
  - शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
  - शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से नि:शक्तजन तथा उनके आश्रित।
  - 5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित—परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।
  - राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल।
  - भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
  - कार्यरत सैनिकों के आश्रित।
- 26.5 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। दिव्यांग आवेदकों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र (जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो) पंजीयन के समय अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।
- 26.6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS- Economically Weaker Section) :— आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाम सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 444/243/आउशि/शा.-5'अ'/2019 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुक्रम में दिया जायेगा। पंजीयन के समय ई.डब्लू.एस. प्रमाण पत्र अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाम लिया जा सकेगा।
- 26.7 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 26.8 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय / विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत्त/दिवंगत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रिजस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।
- 26.9 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।

Page 26 /46

### 26.10 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश :--

अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पंजीयन, आवंटन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु पोर्टल (https://epravesh.mponline.gov.in) पर पृथक से उपलब्ध लिंक के माध्यम से संचालित होगी। सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपनी संस्था को रिजस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में सम्बंधित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों / विषयों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित विश्वविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक

अत्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अत्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आवंटन की प्रक्रिया 01 : 01 (अत्पसंख्यक श्रेणी : गैर अल्पसंख्यक श्रेणी) के अनुपात में की जावेगी ।

- 26.11 कंडिका 6.4 अनुसार सी.एल.सी. अंतिम चरण में समय सारणी अनुसार पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के (आवेदक उपलब्ध न होने पर) रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों हेतु परिवर्तित किये जायेंगे।
- 26.12 समय—समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
- 26.13 'ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो,पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देंगी तथा प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेंगी।

#### 27. अधिभार :-

#### अधिमार हेतु प्रमाण पत्र संबंधी :--

- (अ) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिमार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के विगत चार क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2019-20 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।
- (ब) स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिभार हेतु स्नातक स्तर में आवेदक के विगत तीन क्रिमिक सत्र (अर्थात सत्र 2020-21 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।
- (स) अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन-पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये पंजीयन आवेदन पत्र में उल्लेखित, संबंधित प्रमाणपत्र अनिवार्यतः अपलोड करने होंगे। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।
  - खेलकूद विधा में महाविद्यालय में कुल सीट संख्या के अतिरिक्त 5 सीट खेलकूद में 'ए' श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों के लिए आउटराईट के आधार पर सुरक्षित होंगी । (24 मई 2022 के आदेशानुसार)
  - कला-संस्कृति (युवा उत्सव)/एन.सी.सी.-एन.एस.एस.- स्काउट एवं रेडक्रॉस सोसायटी में शामिल 'ए' श्रेणी प्राप्त आवेदकों के लिए प्रत्येक महाविद्यालय में कुल सीट के अतिरिक्त 5-5 सीट आउटराईट के आधार पर आवंटित करने के लिए सुरक्षित होंगी।
  - राज्य/संमाग/जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के आवेदकों के लिए बी, सी और डी में अधिमार के आधार पर, गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।
  - आउटराईट के आवेदकों की संख्या अधिक होने पर स्वतः सीटों में वृद्धि की जायेगी ।

Page 27 /46

## कार्य दिवसों की गणना सत्र 2023-24 (वार्षिक पद्धति-स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष कक्षाओं हेतु प्रभावशील)

अ)	अवकाश एवं शैक्षणेत्तर गतिविधियों का विवरण	
1.	रविवार	52
2.	सामान्य अवकाश	17 कार्य दिवस
3.	स्थानीय अवकाश	03 कार्य दिवस
4.	दीपावली अवकाश	05 कार्य दिवस
5.	छात्रसंघ गठन/महाविद्यालयीन सांस्कृतिक गतिविधियाँ आदि	15 कार्य दिवस
	योग	92
( <del>a</del> )	परीक्षा / ग्रीष्मावकाश के अशैक्षणिक दिवस	
1	परीक्षा पूर्व तैयारी	06 कार्य दिवस
2.	परीक्षा अवधि	44 कार्य दिवस
3.	ग्रीष्म अवकाश	36 कार्य दिवस
	योग	86 कार्य दिवस
( <del>H</del> )	कुल अशैक्षणिक दिवस (अ+ब) (92+86) = 178	178 कार्य दिवस
(द)	कुल शैक्षणिक दिवस (365—178) = 187	187 शैक्षणिक कार्य
	an agreement two tools to	दिवस

नोट- अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य निर्धारित मानक 180 दिवसों से कम होने की दशा में,
महाविद्यालय/वि.वि स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर
शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाये तािक अकादिमक कैलेण्डर का पालन समयानुसार
सुनिश्चित किया जा सके एवं शैक्षणिक कार्य दिवस कम होने पर अतिरिक्त कक्षाएँ
संचािलत कर पाठयक्रम पूर्ण किया जावे।

अवर सचिवं मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग